झारखण्ड विधान-सभा

विधि विभाग

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड
रांची द्वारा मुद्रित
2002

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 का संशोधन ।
3. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 का संशोधन ।

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय

(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 में झारखण्ड राज्य में इसके प्रयोजनार्थ संशोधन के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। —(i) यह अधिनियम बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा।

   (ii) यह अधिनियम सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

   (iii) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 का संशोधन। —बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा-19 को :—

   (i) उप-धारा-(1) में शब्द "बीस हजार" के स्थान पर शब्द "पचास हजार" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

   (ii) उप-धारा-(2) में शब्द "तीस हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 का संशोधन। —धारा-21 की :—

   (i) उप-धारा(1) के खण्ड-(क) में शब्द "साठ हजार" के स्थान पर शब्द "दो लाख पचास हजार" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

   (ii) उप-धारा-(1) के खण्ड-(ख) के बाद निम्नलिखित एक "परन्तुक" जोड़ा जायेगा, यथा :—

परन्तुक, उच्च न्यायालय किसी भी समय यह विनिश्चय कर सकेगा/निदेश दे सकेगा कि उसके समक्ष दायर अपील या अपीलों की श्रेणी या समूह जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित किये जायें और उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय किये जाने पर या आदेश दिये जाने की स्थिति में ऐसे अपील या अपीलों की श्रेणी या समूह ऐसे अंतरित न्यायालय में स्थानांतरित होगा, जो ऐसे अपील अथवा अपीलों की श्रेणी या समूह की सुनवाई एवं निस्तारण वैसे करेगा, मानों वे इन्हीं के समक्ष खण्ड-(क) के अधीन दायर किया गया हो।

———

यह विधेयक बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002 दिनांक 21 मार्च, 2002 को सभा में उदभूत हुआ और दिनांक 21 मार्च, 2002 को सभा द्वारा पारित हुआ।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची।

झा०रा०मु० रांची (विधि) 10—50—18-3-2002—शनि मुण्डा।